न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.), झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 153 / 2025

1. खामोश कंवर स्त्री पप्पु सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी ग्राम खींवासर तहसील गुढगौडजी जिला झुंझुनूं।
2. रणवीर सिंह पुत्र समुन्द्र सिंह जाति जाट निवासी ग्राम सीथल तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

वादीगण

बनाम

1. गंगाधर पुत्र हनुमान सिंह
2. बनवारी पुत्र मंगला
3. विमला पुत्री बुद्धराम
4. बोदुराम पुत्र बुद्धराम
5. राकेश पुत्री बुद्धराम
6. राजेन्द्र पुत्र मंगला
7. रामनिवास पुत्र बुद्धराम
8. संतोष देवी स्त्री बुद्धराम
9. सुनिता पुत्री बुद्धराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम खींवासर, गुढागौड़जी तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

10. सायर कंवर स्त्री उम्मेद सिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम खींवासर तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुढागौड़जी तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
12. वैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खींवासर तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

प्रतिवादीगण

वकील वादी :– एडवोकेट बाबूलाल मील।
वकील प्रतिवादी:– कोई उपस्थित नहीं।

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

निर्णय दिनांक 08/10/25

संक्षेप में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम खींवासर तहसील गुढागौड़जी की सरहदं में स्थित जमीन हाल खसरा नम्बर 149 रकबा 5.15 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त वर्णित भूमि में वादिया नम्बर 1 का हिस्सा 5489 / 103000 हैक्टर तथा वादी नम्बर 2 का हिस्सा 3693 / 25750 है। प्रतिवादी नम्बर 1 से 10 का जमाबन्दी सम्वत् 2078 में वर्णित हक हिस्सा के मुताबिक सहखातेदार है। सभी खातेदारान अपनी सुविधा से अपने–अपने हक हिस्सा की जमीन पर काबिज काश्त है। उक्त विवादित आराजी का अभी पक्षकारान के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। कृषि भूमि बिना विधिवत् विभाजन के कोई एक सहखातेदार अपने हिस्से की जमीन में अच्छी तरह से भू–सुधार नहीं कर सकता तथा ना ही किसी प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवा सकता। इसी उद्देश्य के लिए वादीगण ने दिनांक 13.

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

06.2025 को तहसीलदार गुढागौड़जी से निवेदन किया तो तहसीलदार ने कहा कि सभी सहखातेदार सहमत होने पर ही बंटवारा किया जा सकता है अन्यथा सक्षम न्यायालय में रेगुलर दावा पेशकर आदेश प्राप्त करने की सलाह दी। वादकारण दिनांक 13.06.2025 को तब पैदा हुआ जब तहसीलदार ने सभी पक्षकार की बिना सहमति के सक्षम न्यायालय में रेगुलर दावा पेशकर आदेश प्राप्त करने की सलाह दी तब वादपत्र माननीय न्यायायल के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ। अन्त में वादीगण ने वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम खींवासर तहसील गुढागौड़जी की सरहद में स्थित जमीन हाल खसरा नम्बर 149 रकबा 5.15 है0 भूमि में से. वादिया नम्बर 1 का हिस्सा 5489/103000 व वादी नम्बर 2 का हिस्सा 3693/25750 का अलग से विधिवत् विभाजन करवाकर अलग से खाता खतौनी जारी करवाने के अधिकारी है।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर न्यायालय हाजा द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 14.08.2025 को वाद वादीगण को प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक LR/25/14 दिनांक 18.09.2025 के द्वारा इस न्यायालय में भिजवाये गये। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण को बहस पत्रावली पर सुना गया। वादी अधिवक्ता ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वाद वादीगण को न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: निर्णय :–

वाद वादीगण सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम खींवासर तहसील गुढागौड़जी की सरहद में स्थित जमीन हाल खसरा नम्बर 149 रकबा 5.15 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक LR/25/14 दिनांक 18.09.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा वादी पक्षकार वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा बाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8/10/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुंझुनूं

सहायक कलक्टर
झुन्झुनूं

मूल वाद में अंतिम डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.), झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति सुप्रिया आर.ए.एस

दावा बाबत् खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

अंतिम वाद डिक्री

उनवान खामोश कंवर वगै0 बनाम गंगाधर वगैरह

मुकदमा नं. : 153 / 2025 दिनांक : 8/10/25

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, सुप्रिया (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.), झुंझुनूं बहाजिरी वकील वादिया मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 8/10/25 के अनुसार वकील वादीगण बाबुलाल मील की उपस्थिति में वाद वादीगण को अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम खींवासर तहसील गुढागौड़जी की सरहद में स्थित जमीन हाल खसरा नम्बर 149 रकबा 5.15 है0 भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक LR / 25 / 14 दिनांक 18.09.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 8/10/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर झुन्झुनूं

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	4	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	2	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	6	योग	

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर झुन्झुनूं